Krishna

अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 271 19।

मृतक श्री [illegible] ने [illegible] आवेदन सं० 420

संपत्ति के सम्बन्ध के निर्धारित सत्यव्रहारों और अवधारों का संक्षिप्त प्रमाण-पत्र दिया जाय

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सत्यव्रहारों और अवधारों के बारे में वही। मैं और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से तारीख 31-01-14 19 की तारीख 02-02-18 19 तक जांचकी की गई और ऐसी जांचकी के बाद निम्न सत्यव्रहारों और अवधारों का पता चला।

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की [illegible] के प्रति टिप्पण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गोदाम	गोदाम	9/06/2010	9/06/2010					
2120-	430910	176	146	11	66570			
					i.e 28744.32			
870-	4291				8981			
21020	111							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. ऋण-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तयार किया -

(हस्ताक्षर) -

(पदनाम) - Asso

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय - 310-Mo-0[illegible]

तारीख 02-02-18

[illegible] पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02-02-18

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं; यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(i) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्रतिलिपि देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों या अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित शुल्क का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

(ii) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उ[illegible] तलाशी अपने परसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(iii) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्व[illegible] गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखा गया है। इसलिए [illegible] आवेदक द्वारा न बुने गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को छूट के लिए किसी भी तरह जि[illegible] न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

आवेदक 296 दिनांक 02-02-18

निबंधि:- Corp. office:- S-D/20 North S.K. Puri Behind Rajesh petrol pump, Boring Road Patna-800013/Tel-0612-2522021/ Toll Free No 7677115566 को प्रेषित।

Mo40

02-02-18